न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी भागवंती जेठवानी, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 213/2016 **दायरा दिनांक : 02.05.2016**

उनवान

1– चम्पालाल पुत्र रामबक्श, जाति मीणा, निवासी पाली, तहसील छबडा, जिला बारां

2– रामकल्याण पुत्र रामबक्श, जाति मीणा, निवासी पाली, तहसील छबडा, जिला बारां

.... अपीलांट

बनाम

1– भोला पुत्र नाथू, जाति मीणा, निवासी पाली, तहसील छबडा, जिला बारां

2– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, छबडा

3– ग्राम पंचायत पाली जर्ये सरपंच ग्राम पंचायत पाली, तहसील छबडा, जिला बारां

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित –श्री वाई एस भटनागर अभिभाषक अपीलांट की ओर से

श्री बाबू लाल जैन अभिभाषक रेस्पोडेंट की ओर से

निर्णय **दिनांक : 15.02.2018**

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, छबडा के प्रकरण संख्या – 10/2016 निर्णय व डिक्री दिनांक 09.02.2016 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि उपजिला कलेक्टर के समक्ष केम्प कोर्ट में एक प्रार्थना पत्र चम्पालाल द्वारा पेश किया गया और यह कथन किया गया कि खातेदार भोलाराम, सहखातेदार है और वह खाते को अलग कराना चाहता है । इस प्रार्थना पत्र के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 18.12.2004 को कैम्प कोर्ट में निर्णय पारित करते हुए वादग्रस्त आराजी में चम्पालाल एवं रामकल्याण को खातेदार घोषित किया है इस निर्णय के विरूद्ध अपील पेश होने पर इस न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 28.06.2016 से अपील अपीलांट स्वीकार की गई है और अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री अपास्त किया है । इसके उपरान्त द्वितीय अपील पेश होने पर माननीय राजस्व मण्डल द्वारा प्रकरण परीक्षण न्यायालय को रिमाण्ड किया है । इसके उपरान्त परीक्षण न्यायालय ने दिनांक 31.03.2014 को दावा वादी खारिज किया है इसकी अपील पेश होने पर इस न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 23.11.2015 से माननीय राजस्व मण्डल के निर्देशों की पालना हेतु रिमाण्ड किया गया है जिसके उपरान्त अपीलाधीन निर्णय पारित करते हुए दावा वादी स्वीकार किया जिसके खिलाफ अपील पेश की गई है ।

अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि दिनांक 18.12.2004 को प्रशासन आपके द्वार के अन्तर्गत अपीलांट एवं रेस्पोडेंट के आपसी सहमति से यह निर्णय पारित हुआ था कि खसरा नम्बर 157 की 15 बीघा 15 बिस्वा भूमि में से 157/1 रकबा 7 बीघा 17 बिस्वा अपीलांट नम्बर 1 शेष 7 बीघा 18 बिस्वा रेस्पोडेंट नम्बर 1 का खाता यथावत रहेगा । इसके खिलाफ अपील पेश होने पर अपील स्वीकार की गई ।

द्वितीय अपील पेश होने पर प्रकरण रिमाण्ड किया गया और रिमाण्ड के उपरान्त दिनांक 31.03.2014 को भोला बनाम चम्पालाल के नाम से दावा खारिज किया गया । इस आदेश के विरूद्ध पेश अपील आंशिक रूप से स्वीकार की गई । दिनांक 09.02.2016 को भोला बनाम चम्पालाल का दावा स्वीकार किया है । रिमाण्ड निर्देशों की पालना नहीं की गई । चम्पालाल एवं रामकल्याण इस आराजी के सहखातेदार है । न्यायालय ने खसरा गिरदावरी का अध्ययन नहीं किया है । राजस्व मण्डल के निर्देश संख्या 2 के क्रम में सम्वत 2012—15 में चम्पालाल का कब्जा काश्त है । इस पर अधीनस्थ न्यायालय ने गौर नहीं किया है । इस प्रकार राजस्व मण्डल के निर्देशों की पालना नहीं की गई है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाये ।

अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । बहस उभयपक्षीय सुनी गई ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि आपसी सहमति से विभाजन हुआ था । माननीय राजस्व मण्डल द्वारा प्रकरण परीक्षण न्यायालय को कुछ दिशा निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया था । रिमाण्ड निर्देशों की पालना नहीं हुई है । पूर्व का निर्णय सहमति से है जिस में अपीलांट को हिस्सा दिया गया है । अब समस्त आराजी रेस्पोडेंट के नाम कर दी है । भोला के बयान पी डब्ल्यू 1 के रूप में पत्रावली पर सलंग्न है । एक्जीविट डी 2 से कब्जा मेरा प्रमाणित होता है फिर भी अधीनस्थ नयायालय ने साक्ष्य पर गौर नहीं किया है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाये ।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने कथन किया कि मौखिक साक्ष्य के आधार पर अपीलांट का कब्जा नहीं माना जा सकता है । राजस्व मण्डल निर्देशों की पालना की गई है । अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है । अपील सारहीन होने से खारिज की जाये ।

इस प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र दिनांक 18.12.2004 को चम्पा लाल ने पेश किया था । वाद में उनवान में भोला को वादी बताया गया है जबकि वादी चम्पा लाल अंकित होना चाहिए ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर नकल जमाबंदी सम्वत 2060–63 नया खाता संख्या 48 पुराना 33 सलंग्न है जिसमें वादग्रस्त आराजी भोला के नाम अंकित है । नकल जमाबंदी बन्दोबस्त सम्वत 2012–15 एक्जीविट पी–1 है जिसमें वादग्रस्त आराजी जमना लाल वल्द नाथू के खाते में दर्ज है । नकल जमाबंदी सम्वत 2039–42 एक्जीविट पी 2 में वादग्रस्त आराजी भोला वल्द नाथू के खाते में दर्ज है । नकल जमाबंदी सम्वत 2044–47 एक्जीविट पी 3 में वादग्रस्त आराजी भोला वल्द नाथू के खाते में दर्ज है । नकल जमाबंदी एक्जीविट पी 4 में वादग्रस्त आराजी भोला वल्द नाथू के खाते में दर्ज है । नकल जमाबंदी सम्वत 2056–69 एक्जीविट 5 वादग्रस्त आराजी भोला के खाते में दर्ज है । नकल खतौनी बन्दोबस्त सम्वत 2012–47 एक्जीविट पी 6 में आराजी जमना वल्द नाथू के खाते में दर्ज है । एक्जीविट डी 1 पंचनामा है । एक्जीविट डी 2 नकल खसरा गिरदावरी सम्वत 2012–20 है । इसके अलावा बयान भोला पी डब्ल्यू, डी डब्ल्यू 1 चम्पालाल, डी डब्ल्यू 2 रामचन्द्र, डी डब्ल्यू 3 सागर सिंह कराये गये हैं ।

माननीय राजस्व मण्डल द्वारा अपने निर्णय दिनांक 04.04.2013 से अधीनस्थ नयायालय को 4 बिन्दुओं पर निर्देश देते हुए प्रकरण रिमाण्ड किया है । ये 4 बिन्दु निम्नानुसार हैं । :–

बिन्दु संख्या 1 – उपखण्ड अधिकारी, छबडा ग्राम पाली के राजस्व अभिलेख सम्वत 2012 से वर्तमान समय तक का अवलोकन करें एवं यह जांच करें की क्या इस विवादित भूमि पर श्री चम्पालाल एवं श्री रामकल्याण या उनके पिता का जमाबन्दी में सहखातेदारी दर्ज है ?

बिन्दु संख्या 2 – क्या पुराने राजस्व अभिलेखों अर्थात् खसरा गिरदावरी में श्री चम्पालाल वगैरह का विवादित भूमि पर कब्जा काश्त दर्ज है तथा क्या मौके पर भी श्री चम्पालाल वगैरह विवादित भूमि की काश्त कर रहे हैं ?

बिन्दु संख्या 3 – क्या श्री भोला द्वारा ग्राम पंचायत के सरपंच के समक्ष इस प्रकरण में दिनांक 18.12.2004 को अपनी सहमति दी थी तथा इन पक्षकारों के बीच खून का रिश्त है ?

बिन्दु संख्या 4 – क्या दिनांक 18.12.2004 को परीक्षण न्यायालय द्वारा मज–मे–आम में पारित की गई डिक्री पक्षकारों

की मिली–भगत से पारित करवायी गई है तथा न्यायालय के समक्ष गलत तथ्य प्रस्तुत करते हुए प्राप्त की गई है ?

प्रकरण का बिन्दुवार विवेचन निम्नानुसार है :–

बिन्दु संख्या 1 – इस बिन्दु के क्रम में अधीनस्थ न्यायालय में जो राजस्व रेकार्ड की प्रतियां पेश की गई है उनमें से किसी में भी चम्पालाल एवं रामकल्याण अथवा उनके पिता रामबक्श का नाम सहखातेदार के रूप में दर्ज नहीं है । इस प्रकार राजस्व रेकार्ड में प्रतिवादीगण या उनके पिता का नाम दर्ज नहीं होने के कारण उन्हें सहखातेदार घोषित किया जाना विधिक रूप से संभव नहीं है ।

बिन्दु संख्या 2 – इस बिन्दु के क्रम में खसरा गिरदावरी की प्रति अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर एक्जीविट डी 2 सलंग्न है जिसमें उपकृषक में जमना लाल वल्द नाथू का नाम अंकित है । कॉलम संख्या 40 में काबिज रामबक्श अंकित है । परन्तु मात्र एक सम्वत 2015 में रामबक्श का नाम अंकित होने के आधार पर उसको सहखातेदार नहीं माना जा सकता है ।

बिन्दु संख्या 3 व 4 – इस बिन्दु के क्रम में परीक्षण न्यायालय द्वारा यह मत व्यक्त किया गया है कि पक्षकारों में खून कर रिश्ता नहीं है और तत्समय सहमति बाबत पर्चा मौका सलंग्न है । तत्समय में परीक्षण न्यायालय ने लोक अदालत की भावना से यह निर्णय किया है । किसी प्रकार की मिली–भगत नहीं है ।

चूंकि पत्रावली पर जो राजस्व रेकार्ड पेश किया गया है उसमें कहीं भी प्रतिवादीगण चम्पा लाल एवं रामकल्याण अथवा उनके पिता रामबक्श सहखातेदार नहीं है । इस कारण सम्पूर्ण वादग्रस्त आराजी के हकदार भोला ही है । प्रतिवादीगण को इसमें सहखातेदार घोषित नहीं किया जा सकता है । प्रतिवादीगण अपने निरन्तर कब्जे के समर्थन में पर्याप्त दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं कर पाये हैं । मात्र खसरा गिरदावरी की एक प्रति एक्जीविट डी 2 पेश की गई है । मात्र एक वर्ष 2015 में कब्जा दर्ज होने के आधार पर उन्हें खातेदार घोषित नहीं किया जा सकता ।

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि माननीय राजस्व मण्डल की फुल बैंच एवं माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान जयपुर के निर्णय के अनुसार कृषि भूमि में कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते हैं । इन तथ्यों के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत प्रतीत होता है जिसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना आवश्यम प्रतीत नहीं होता है ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 09.02.2016 यथावत रखा जाता है ।

निर्णय आज दिनांक 15.02.2018 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(भागवंती जेठवानी)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा